राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5972/2022
(जोधपुर अपील संख्या :– 880/2022)

नेहा चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड, जयपुर।
4. पिंकी शर्मा, व्याख्याता (संस्कृत), स्थानान्तरण के अंतर्गत शहीद अमित भारद्वाज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माणक चौक से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगदा, बारां।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.11.2022
आदेश की दिनांक : 07.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अपील में यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 01.11.2022 (अनुलग्नक–1 व 2) को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को व्याख्याता संस्कृत के पद पर राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड, जयपुर में यथावत कार्य करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता संस्कृत के पद पर राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022

के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नागदा, बारां में किया गया और उसे कार्यमुक्त आदेश दिनांक 01.11.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण माणक चौक, जयपुर से नागदा बारां किया गया है और उक्त आदेश की पालना में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने कार्यग्रहण नहीं किया है। तत्पश्चात् आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर सितम्बर, 2021 में कार्यग्रहण किया था और लगभग 13 माह बाद पुनः स्थानान्तरण कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10827/2015 रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम राज्य व अन्य में ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को अनुचित माना है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत जाकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया है, जो विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 01.11.2022 (अनुलग्नक–1 व 2) को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को व्याख्याता संस्कृत के पद पर राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड, जयपुर में यथावत कार्य करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अत्यावश्यकता में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रखने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समायोजन के आधार पर स्थानान्तरण किए जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस के प्रकरण में सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसमें निजी प्रत्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने एवं समायोजित करने के उद्देश्य से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो स्वीकार नहीं माना। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियमानुसार जारी किया गया है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 20.12.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया था, परंतु अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में स्थानान्तरण स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया और इस प्रकार आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो नीति एवं नियमों के अनुरूप है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वर्तमान में व्याख्याता संस्कृत के पद पर राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नागदा, बारां में किया गया और आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण माणक चौक, जयपुर से नागदा, बारां किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर आदेश दिनांक 14.08.2021 के द्वारा पदस्थापित किया गया था और अब एक वर्ष से अधिक समय बाद अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो छात्रहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर नियमानुसार किया गया है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of*

malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 15.11.2022 का प्रावकाश (vacate) किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य